फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– ग्राम पंचायत चंगेडी विपक्षी :– नगरपालिका फतहनगर सनवाड

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. पत्रावली संख्या : 27/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 06.06.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प चंगेडी में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 स्वयं उपस्थित। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 208, 1632, 1855, 1860, 3672/520 जो वर्तमान में नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज है उसे पुनः ग्राम पंचायत चंगेडी के नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 द्वारा उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक प–12/03/परि/ हस्ता./09/5184–93 दिनांक 30.06.2015 व राजस्व ग्रुप की अधिसूचना क्रमांक एफ–6 (9) राज/6/96/10 दिनांक 02.06.2009 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ–6 (9) राज/6/96 पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 से नगरपालिका के नाम दर्ज होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा नगरपालिका के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि पत्रावली के अवलोकन से उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक प–12/03/परि/हस्ता./09/5184–93 दिनांक 30.06.2015 व राजस्व ग्रुप की अधिसूचना क्रमांक एफ–6 (9) राज/6/96/10 दिनांक 02.06.2009 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ–6 (9) राज/6/96 पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 से नगरपालिका के नाम दर्ज हुई हैं। प्रार्थी इसमें किसी प्रकार लिपिकिय त्रुटि से गलत होने का तथ्य साबित कराने में असफल रहा है। अतः इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत चंगेडी के नाम दर्ज भूमि को किसी लिपिकिय त्रुटि के कारण नहीं हटाया गया हैं। उक्त आराजीयात राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरपालिका के नाम दर्ज की गई हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.रा.अ. में पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकता हैं। प्रार्थी द्वारा चाही गई दाद इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं दी जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.रा.अ. में पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:08:51 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर